



52/11 श्री श्री / महाराज

दिनांक

आज्ञा पत्र

7-11-19

महाराज श्री श्री / महाराज  
जबलपुर उच्च न्यायालय  
आज्ञा पत्र

11-12-19

11-12-19

वकील अपीलान्ट उपो। रेस्पोंडेंस. के  
नोटिस पुनः पेश करे। पेश करने पर  
जाची हो। वक्त का रेकार्ड तलब हो। फावली  
दिनांक 8-1-20 को पेश हो।

स.स.

8-1-20

पत्रावली पेश वकील अपीलान्ट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 निगम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्ट ने रेस्पोंडेंस के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अपनी वकील के प्रति गंभीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आदेश 9 निगम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनवाई पर। पत्रावली फिलहाल सुनार होकर नंबर  
से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दाफतार हो।

स.स.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
श्रीकर- (कॉम्प्युटरी)

